संदर्भः आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/118/6/2022 दिनांकः10-06-2022

प्रति,
सभी बीमाकर्ता

विषयः विनियामक विवरणियों और अन्य अनुपालन की अपेक्षाओं का युक्तीकरण

व्यवसाय संचालन में सुगमता में वृद्धि करने तथा अनुपालन के भार को कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि जीवन बीमाकर्ताओं से विनियामक विवरणियों और अन्य अनुपालन की अपेक्षाओं का निम्नानुसार युक्तीकरण किया जाए। ये निदेश बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 (2) (ङ) के अधीन जारी किये जाते हैं।

1. निम्नलिखित विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा समाप्त की जाती हैः

    1.1 पूर्णतः / अंशतः बंद की गई शाखाओं के विवरण से युक्त पाक्षित विवरणी – संदर्भ परिपत्र दिनांक 23-03-2020.
    1.2 प्रस्तावों के लिए ओटीपी आधारित सहमति से संबंधित शिकायतों का मासिक विवरण- संदर्भ परिपत्र दिनांक 12-11-2020.
    1.3 नवीकरण प्रीमियम और पालिसी भुगतानों का मासिक विवरण – संदर्भ परिपत्र दिनांक 10-08-2021.
    1.4 सरल जीवन बीमा के विक्रय संबंधी मासिक रिपोर्ट - मानक जीवन उत्पाद – संदर्भ ई-मेल दिनांक 29-04-2021.
    1.5 सरल पेंशन के विक्रय संबंधी मासिक रिपोर्ट – मानक वार्षिकी उत्पाद – संदर्भ ई-मेल दिनांक 08-06-2021.
    1.6 एनसीएफई प्रशिक्षण संबंधी मासिक रिपोर्ट – संदर्भ ई-मेल दिनांक 5-10-2021.
    1.7 निधि आधारित उत्पादों संबंधी मासिक एनबी प्रीमियम।
    1.8 उक्त अवधि के दौरान प्रारंभ किये गये उत्पादों की मासिक रिपोर्ट – संदर्भ परिपत्र दिनांक 03-04-2008.
    1.9 यूनिट संबद्ध बीमा योजनाओं (यूलिप्स) में प्रशिक्षत एजेंटों / मध्यवर्तियों की संख्या का वार्षिक विवरण – संदर्भ परिपत्र दिनांक 26-09-2019.
    1.10 "प्रस्ताव पर सूक्ष्म बीमा (एमआई) उत्पादों के नाम" संबंधी तिमाही जीवन परिचालनगत बीएपी विवरणी।

2. निम्नलिखित आफ़-लाइन / अयांत्रिक विवरणियों का प्रस्तुतीकरण समाप्त किया जाता हैः

    2.1 आईआरडीएआई (बाह्यस्रोतीकरण) विनियम, 2017 के अनुसार वार्षिक बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) विवरणियाँ।
    2.2 व्यवसाय के स्थानों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय की रिपोर्टिंग – वार्षिक और तिमाही विधियों के साथ विवरणियाँ।

3. कोविड-19 मृत्यु दावों संबंधी प्रगति रिपोर्ट के संबंध में प्रस्तुतीकरण की आवृत्ति साप्ताहिक से आशोधित कर मासिक किया गया है।

4. निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणीकरण समेकित किये गये हैं तथा अब से आगे मुख्य अनुपालन अधिकारियों हेतु निम्नलिखित के लिए एक एकल प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगीः

   4.1 वार्षिक दूरस्थ विपणन अनुपालन प्रमाणपत्र।
   4.2 विज्ञापनों संबंधी अनुपालन का वार्षिक प्रमाणपत्र।
   4.3 केएमपी-2 का वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र।

उपर्युक्त आशोधन तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

मुख्य महाप्रबंधक (जीवन)